5588 | 13/7/18

संख्या : 1022/आठ–1–18–93विविध/2018

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्षत,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

4. नियंत्रक अधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1   लखनऊ : दिनांक 11 जुलाई, 2018

विषयः प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास (शहरी) के अन्तर्गत लाभार्थियों को आवंटित किये जाने वाले भवनों में "वरीयता नीति" की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास (शहरी) योजना के भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक योजना के कियान्वयन हेतु आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश–2015 के बिन्दु संख्या–6.5 में उल्लेख है कि "एएचपी परियोजनाओं में चिन्हित पात्र लाभार्थियों को आवासों का आवंटन "एसएलएसएमसी द्वारा यथा अनुमोदित पारदर्शी प्रकिया का अनुपालन करते हुए किया जाना चाहिए तथा चयनित लाभार्थी एचएफएपीओए का हिस्सा हो। आवंटन में प्राथमिकता शारीरिक रूप से निःसहाय लोगों, वरिष्ठ नागरिकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, एकल महिलाओं, उभयलिंगी तथा समाज के अन्य कमजोर तथा उपेक्षित वर्गों को दी जाए। आवंटन करते समय, अशक्त व्यक्तियों तथा वरिष्ठ नागरिकों वाले परिवारों को प्राथमिक रूप से भूतल अथवा नीचे तलों पर आवासों का आवंटन किया जाय"।

2– उक्त के अनुक्रम में **प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास (शहरी) के अन्तर्गत लाभार्थियों को आवंटित किये जाने वाले भवनों में निम्नवत् "वरीयता नीति" की व्यवस्था की जाती है:–**

(अ) वर्टिकल वरीयता :–

क. सं.	**श्रेणी**	**वर्टिकल वरीयता प्रतिशत**
1.	अनुसूचित जाति	21
2.	अनुसूचित जनजाति	2
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27

E:/Awas-1/Yadav//G.O.18

(ब) हारिजन्टल वरीयता

क. सं.	श्रेणी	हारिजन्टल वरीयता प्रतिशत
1.	दिव्यांगजन	05 % (वरीयता–भूतल के भवन/फ्लैट)
2.	विधवा/एकल महिला	08%
3	उभयलिंगी	0.5%
4	अल्पसंख्यक	अन्य पिछड़ा वर्ग में पूर्व से अनुमन्य है
5	वरिष्ठ नागरिक	10% (वरीयता–भूतल के भवन/फ्लैट)

3– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास (शहरी) योजना के भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक योजना के प्राविधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

/

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक:: तदैव

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख स्टॉफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ.प. शासन।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ.प्र. शासन को इस निवेदन के साथ कि कृपया अपने विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर आवश्यक निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक, आवास बन्धु उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत नीति को समस्त सम्बन्धित को अपने स्तर से उपलब्ध कराते हुए इसे आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर तत्काल अपलोड करना **सुनिश्चित करें।**
7. **आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के समस्त अनुभाग।**
8. **गार्ड फाईल।**

आज्ञा से,

(नितिन रमेश गोकर्ण)
प्रमुख सचिव

E:/Awas-1/Yadav//G.O.18